**संख्या-67/2024/206/35-4-2024/35-4099/128/2021**

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21फरवरी, 2024

**विषय: जनपद- फर्रूखाबाद में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-फर्रूखाबाद के विधान सभा क्षेत्र-कायमगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक, कुरार, कायमगंज के भवन निर्माण कार्य से संबंधित शासनादेश संख्या-24/2020/263/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा अनुमोदित लागत रू. 1810.29 लाख (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश 14/2021/167/35-4-2021 दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 271.54 लाख, शासनादेश 124/2021/1240/35-4-2021, दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 886.18 लाख एंव शासनादेश 60/2022/166/35-4-2022 दिनांक 21 फरवरी, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के किश्त के रूप में रू0 362.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-92/2022/244/35-4-2022, दिनांक 22 मार्च, 2022 द्वारा उक्त भवन निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 189.16 लाख अवमुक्त की गई। अतएव **उपरोक्त शासनादेशों द्वारा उक्त कार्य की अब तक कुल लागत रू0 1999.45 लाख (रू0 1810.29लाख+ जी0एस0टी0 रू0 189.16 लाख)** के सापेक्ष कुल रू0 1908.94 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है।

2- जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद के पत्र संख्या-987/त्व0आ0वि0यो0/2023-24, दिनांक 29.12.2023 द्वारा प्रश्नगतकार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग करते हुए अवशेष धनराशि (05 प्रतिशत) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए (05 प्रतिशत) अवशेष रू. 90.51 लाख (रूपए नब्बे लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि रू. लाख में)**

| **कार्य** | **अनुमोदित लागत** | **जीएसटी की धनराशि** | **कुल लागत** | **पूर्व में अवमुक्त धनराशि** | **अवमुक्त धनराशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| राजकीय पॉलीटेक्निक, कुरार, कायमगंज, फर्रूखाबाद का भवन निर्माण कार्य | 1810.29 (जीएसटी नियमानुसार देय) | 189.16 | 1999.45 | 1908.94 | 90.51 |

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 09 फरवरी,2021, दिनांक 13 अगस्त,2021, दिनांक 21 फरवरी, 2022 एवं दिनांक 22 मार्च, 2022 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू. 90,51,000/-(**रूपये नब्बे लाख इक्यावन हज़ार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

**संख्या:67/2024/206(1)/35-4-2024/35-4099/128/2021**-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38 बी, विभूति खण्ड,गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फर्रूखाबाद।
15- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद।
16- संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।